

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:- उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :- 78 / 2023

स्टेट जरिये श्री जीतसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

-प्रार्थी

-:बनाम:-

जयप्रकाश पुत्र श्रवण कुमार (विक्रेता)

मैसर्स:-जय श्री कृष्ण मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट्स, जोगीयासन, सोनड़ी रोड़,
नोहर, जिला हनुमानगढ़।

निवासी:-ग्राम बुधवालिया, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

-अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 5
उपस्थित:-

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

-:निर्णय:-



दिनांक :-24.05.2024

प्रार्थी श्री जयसिंह यादव, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव दिनांक 17.10.2022 को प्रातः 11.30 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्स:-जय श्री कृष्ण मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट्स, जोगीयासन, सोनड़ी रोड़, नोहर, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर जयप्रकाश पुत्र श्रवण कुमार (विक्रेता) निवासी:-ग्राम बुधवालिया, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास डेयरी पर रखी प्लास्टिक की कैंनी में 20 किलो घी (लूज) आमजन को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर हिला मिलाकर 800 ग्राम घी (लूज) एक साफ सूखे खाली स्टील जग में नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त घी (लूज) के खरीद मूल का 480/-रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा घी (लूज) 800 ग्राम को चार मूल सीलड प्लास्टिक बोतल पर चार लेबल तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कर चिपकाया। ऊपर से प्रत्येक सीलड बोतल को मोटे खाकी कागज में लपेटकर किनारों को सफाई से मोड़ कर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक एके-2432 एवं अन्य विवरण दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके-2432 को चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे सफेद धागे से बांधा व चार-चार जगह से सील चपड़ी किया। सीलड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील नोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु

जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हेल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1006 दिनांक 31.10.2022 जिसके अनुसार नमूना जांच Sub-Standard Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/15331-32 दिनांक 07.11.2022 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात् कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थी (आवेदक) द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Sub-Standard घी (लूज) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर घी (लूज) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 (1) की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर बहस की गई कि अप्रार्थी दुग्ध क्रय-विक्रय का कार्य करता है। अप्रार्थी की दुकान से घी का जो सैंपल भरा गया था जो सब-स्टैंडर्ड पाया गया है। उसकी वजह इलाके में काऊ मिल्क होने के कारण सुखा घास गायों को खिलाया जाता है जिससे घी में बी.आर. कम पाई गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी को राहत प्रदान की जावे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस में लैब रिपोर्टनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये घी (लूज) की जांच में Sub-Standard की रिपोर्ट आई है। जिसे अप्रार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Sub-Standard घी (लूज) विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात् घी (लूज) विक्रेता एवं मालिक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 (1) की श्रेणी में आते हैं। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Sub-Standard कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 4,00,000/- (अखरे रुपये चार लाख मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक-एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten Signature)
 लाल मीना
 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
 हनुमानगढ